[2009] 7 S.C.R. 227

राजस्थान राज्य

-प्रति-

रतन लाल

दाण्डिक अपील सं. 860 सन 2004

31 मार्च, 2009

(डॉ. अरिजीत पसायत, डी.के. जैन और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण)

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा-50 - संदिग्ध के 'व्यक्ति' की तलाशी- अभियुक्त अफीम से भरे थैले को कब्जा में रखा पाया गया - अभियोजन - धारा- 50 की आवश्यकताओं के अननुपालन के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति - उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को अपील योजित करने की अनुमति न देना - अवधारित: एक थैला, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि को मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता है - उच्च न्यायालय ने धारा- 50 के सही प्रभाव का विचार नहीं किया है - राज्य सरकार को अपील योजित करने की अनुमति प्रदान की गयी , जो उच्च न्यायालय द्वारा गुणदोष पर सुनी गयी।

प्रत्युत्तरदाता बड़ी मात्रा में अफीम भरे एक थैले को कब्जे में रखे पाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उसे इस आधार पर दोषमुक्त किया गया कि धारा-50 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुये उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को अपील योजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

राज्य को अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अवधारित : इस न्यायालय के पवन कुमार* के निर्णय के दृष्टिगत एक थैला, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि को , किसी भी परिस्थिति में , मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा- 50 के वास्तविक प्रभाव का विचार नहीं किया है। राज्य सरकार को अपील योजित करने की अनुमति प्रदान की गयी, जो उच्च न्यायालय द्वारा गुणदोष पर सुनी गयी। [पैरा 5 और 6] [229-बी; 232-ई]

एच. पी राज्य -प्रति- पवन कुमार 2005 (3) एससीआर 417 = (2005) 4 एस.सी.सी. 350- निर्भर किया।

निर्णयज विधि संदर्भ

2005 (3) एससीआर 417 पैरा 5 पर निर्भर

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकरः दाण्डिक अपील सं. 860 सन 2004

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. अपील की अनुमति सं. 52 सन 2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 27.02.2004 से

अपीलार्थी के लिए - ऋषि मल्होत्रा, मिलिंद कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था द्वारा-

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. मामले, उदयपुर द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अनुमति देने से इनकार करने के आदेश को इस अपील में चुनौती दी गयी है।

2. अभियुक्त ने बड़ी मात्रा में अफीम को अवैध कब्जे में रखने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम') की धारा 8 और 18 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए को कथित रूप से कारित करने के लिए अभियोग का सामना किया। विचारण न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया कि धारा - 50 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। राज्य द्वारा उस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित करते हुये कि अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अननुपालन था, अतः अनुमति दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी, आवेदन निरस्त कर दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वास्तविक रूप में बरादमगी पॉलिथीन बैग से की गई थी और इसलिए धारा 50 का कोई प्रायोज्यता नहीं है।

4. प्रत्युत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

5. जब तलाशी किसी ब्रीफकेस या किसी वस्तु की होती है, तब धारा 50 की प्रयोज्यता से संबंधित स्थिति का इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा (2005) 4 S.C.C. 350 (एच.पी. राज्य -प्रति- पवन कुमार एवं राजस्थान राज्य -प्रति- भंवर लाल) विचार किया गया: पवन कुमार की निर्णयज विधि के प्रस्तर 7,8,10,11 और 27 में निम्नलिखित रूप से अवधारित किया गया थाः-

" 7. अधिनियम में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (XXIX) कहती है कि शब्द और पद, उसमें उपयोग किये गये हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित है, क्रमशः वही अर्थ रखते हैं जो संहिता में दिये गये हैं। यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं करती है। संहिता की धारा 2 (म) कहती है कि उन शब्दों और पदों को, इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं। भारतीय दण्ड संहित की धारा 11 कहती है कि कोई भी कम्पनी या संगम , या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, "व्यक्ति" शब्द के अन्तर्गत आता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(42) में "व्यक्ति" शब्द की समान परिभाषा दी गयी है। अतः ये परिभाषाएँ हस्तगत विवाद को हल करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

8. संविधियों के निर्वचन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि शब्दों के साधारण , शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ लगाये जाये। यदि वह किसी संविधि के प्रकट आशय या घोषित उद्देश्य के विपरीत या असंगत है, अथवा यह किसी अर्थहीनता, प्रतिकूलता या असंगतता में सम्मिलित होता है तो, जहां तक असुविधा से बचने के लिए किन्तु उससे अधिक नहीं, व्याकरणिक अर्थ संशोधित, विस्तारित या संकुचित करना चाहिए। यह दिखाने का प्रबल दायित्व उस पक्षकार पर है जो अभिकथन करता है कि शब्द का वह अर्थ नहीं है जो वह कहता है। उसे आगे बढ़ना चाहिये जो स्पष्टता से दर्शित करता है कि व्याकरणिक अर्थान्वयन अधिनियम के आशय के प्रतिकूल होगा या प्रत्यक्ष अर्थहीनता को आगे बढ़ाता है (देखें- Craise का Statute Law, सातवां संस्करण पृष्ठ 83-85)। न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ Principles of Statutory Interpretation में विद्वान लेखक ने वही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संविधि के शब्दों को प्रथमतः अपने प्राकृतिक , साधाराण अथवा लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए और पदबंध और वाक्य का अपने व्याकरणिक अर्थ में अर्थान्वयन किया जाता है, जब तक कि वे किसी अर्थहीनता को न ले जाये अथवा जबतक कि सन्दर्भ में या संविधि के उद्देश्य में प्रतिकूल संकेत न करता हो। (अध्याय-The Rule of

Literal Construction के पृष्ठ 78, नौवीं संस्करण को देखें) इस न्यायालय ने भी आरम्भ से ही इसी सिद्धांत का पालन किया है। न्यायमूर्ति एस.आर. दास ने जुगल किशोर सराफ -प्रति- मेसर्स रॉ कॉटन क.लि. ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 376 में कहा है कि (एस.सी.आर. पृष्ठ 1374)

"संविधियों के अर्थान्वयन का मुख्य नियम संविधि को शाब्दिक रूप से पढ़ने का है, जैसे कि विधायिका द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों को साधारण, प्राकृतिक और व्याकरिणक अर्थ देते हुये। यदि ऐसा पाठन अर्थहीनता को ले जाता है और शब्द दूसरे अर्थ के प्रति ग्रहणशील हैं , तो न्यायालय उन्हें अपना सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा वैकल्पिक अर्थान्वयन सम्भव नहीं है, तो न्यायालय को शाब्दिक निर्वचन के साधारण नियम को अपनाना चाहिए।"

पश्चातवर्ती निर्णयों की श्रृंखला में इसी मार्ग का अनुसारण किया गया है। इसलिए , "व्यक्ति" शब्द का सही अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दकोशों को देखने की आवश्यकता होती है।

10. हम यहाँ "व्यक्ति" शब्द की व्यापक परिभाषा से चिंतित नहीं हैं , जो विधि-जगत में निगम, संघ अथवा व्यक्तिगत निकाय को शामिल करता है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से इस प्रकार के प्रकरणों में उनके परिसरों तलाशी ली जा सकती है न कि उनके शरीर की। अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुये और जिस सन्दर्भ में इसका उपयोग धारा में किया गया है स्वाभाविक अभिप्राय एक मनुष्य या जीवित व्यक्तिगत इकाई है , और एक कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। शब्द को व्यापक सामान्य तरीके से समझा जाना चाहिए और न कि मनुष्य का नग्न या वस्त्रहीन शरीर बल्कि सभ्य समाज में एक सामान्य मनुष्य जिस तरीके से चलता-फिरता है। अतः "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होना चाहिए - सामान्यतः जनता के सामने मनुष्य का शरीर उपयुक्त आवरण और कपड़ों के साथ प्रस्तुत होता है। अतः, "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ यह प्रतीत होता है- "मनुष्य का शरीर जिसे सामान्यतः उसके उचित आवरण और वस्त्रों के साथ सार्वजनिक दृश्य में प्रस्तुत किया जाता है "। सभ्य समाज में उपयुक्त आवरण और वस्त्र अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं और कोई भी स्वस्थचित्त मनुष्य उचित आवरण और वस्त्र के बिना दूसरों की दृष्टि में नहीं आता है। उपयुक्त आवरण में जूते-चप्पल भी शामिल होंगे क्योंकि सामान्यतः अपने घर से बाहर जाते समय इसे पहनना एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। ऐसे उपयुक्त आवरण या वस्त्र या जूते पहनने के बाद बिना किसी पर्यास या अतिरिक्त प्रयास के मानव शरीर के साथ -साथ चलते हैं। एक बार पहनने के बाद, वे सामान्यतः मनुष्य के शरीर से अलग नहीं होते जब तक कि उस दिशा में

कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता। प्रावधान की व्याख्या के लिए, कुछ धार्मिक भिक्षुओं और साधुओं के दुर्लभ मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए , जो अपने धार्मिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुसार अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढकते हैं। इसलिए , "व्यक्ति" शब्द का अभिप्राय उचित आवरण एवं वस्त्र और जूते पहनने हुये मनुष्य होगा।

11. किसी बैग, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का शरीर नहीं माना जा सकता। उन्हें एक अलग नाम दिया गया है और वे उसी रूप में पहचान योग्य हैं। उन्हें दूरस्थ रूप से भी किसी मनुष्य के शरीर का भाग नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर विभिन्न माप , आकार व भार की कितनी भी वस्तुएं , जैसे बैग , ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन बॉक्स, थैला, झोला, गठरी, होल्डाल, कार्टन आदि ले जा सकता है। तथापि, उन्हें ढोने या साथ ले जाने में कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वे हाथ में , या कंधे या पीठ पर लटकाकर अथवा सर पर रखकर जे लाये जा सकेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति एक विशेष वस्तु ले जा रहा है, जिसमें उसे ले जाने के तरीके जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि को निर्दिष्ट किया जायेगा। अतः, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले शब्द "व्यक्ति" की परिधि में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

27. अपील की गुणदोष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ अपील की अनुमति दी कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को बाहर रखा जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था। इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों , जिन्होंने पहले अपील पर सुनवाई की थी , द्वारा सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य थी और उसे पृथक नहीं किया जा सकता था। पहले की गई विवेचन के दृष्टिगत, अधिनियम की धारा 50 की वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रायोज्यता नहीं हो सकती है क्योंकि अफीम कथित रूप से बैग से बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त द्वारा ले जाया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने साक्षियों की परिसाक्ष्य का परीक्षण और अन्य साक्ष्य के गुणावगुण का परीक्षण नहीं किया गया। तदनुसार, अपील की पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए।"

6. वर्तमान वाद में, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 50 के वास्तविक प्रभाव पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय को अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनने का निर्देश देना

उचित होगा। अपीलकर्ता-राज्य को अपील योजित करने की अनुमति दी जाती है , जो अब उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुनी जायेगी।

7. अपील अनुज्ञात की जाती है.

अपील अनुज्ञात।

Vetted by :
Ram Pratap Singh Rana
J.O. Code-UP 6279
Addl. District & Sessions Judge
Prayagraj, U.P.